न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 140 / 2022

1 अब्दुला पुत्र अलाउदीन जाति मुसलमान निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 बृजमोहन पुत्र जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 8 अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 उप पंजीयक उप तहसील अजीतगढ़ जिला सीकर।
4 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 89 / 2022 बउनवानी अब्दुला बनाम बृजमोहन आदि दिनांकित 30.11.2022 (जिसके तहत अपीलान्ट के हक में जारी अंतरिम आदेश 16.11.2022 को अपास्त किया गया)

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 21/1/26

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 811 के वर्तमान खसरा नम्बर 854, 855, 858, 859 तन राजस्व ग्राम अजीतगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 16.11.2022 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा इस कानूनी स्थिति का गौर किये बिना त्रुटि कारित की गयी है कि प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 आर.टी.एक्ट. का कानूनी रूप से वादग्रस्त संपदा को वेस्ट डेमेज एवं अलाईमेन्ट होने से रोकना होता है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाने से पूर्व ही आदेश दिनांक 30.11.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की खुली छूट दे दी गयी है। जिसका अनुचित फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बसाजिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 वादग्रस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र स्थानान्तरित प्रभारित करने, अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमियों से बलात बेदखल करने पर आमादा फंसाद हो गये है यदि वो अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये ये मूलवाद एवं अपीलाधीन आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन

आदेश दिनांक 30.11.2022 को अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेन्टस को मूल प्रार्थना पत्र सं. 89/2022 बउनवानी अब्दुला बनाम बृजमोहन आदि को अंतिम निस्तारण तक रेस्पोडेन्टस को कृषि भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 855 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 858 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 859 रकबा 0.06 है. अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिए अंतिम निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 811 के वर्तमान खसरा नम्बर 854, 855, 858, 859 तन राजस्व ग्राम अजीतगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 16.11.2022 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दिया। विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 811 के वर्तमान खसरा नम्बर 854, 855, 858, 859 तन राजस्व ग्राम अजीतगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 16.11.2022 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दिया।

प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 212 दिनांक 10.07.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। इस प्रकार अपील प्रभावहीन होने के कारण विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलान्ट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर